संख्या-पी-185/81-2-2024-800(181)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र सिंह चौहान
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2024

विषय-जनपद बरेली में बरेली-रामपुर मार्ग (पुराना एन0एच0-24) किमी0 242 चैनेज 241.650 प्लाट नं0 सी0पी0-03 सी0वी0 गंज तहसील सदर जिला बरेली पर रियल वर्चुअल वर्क्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे सिक्का होटल के सम्पर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.0922187 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 19 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/49598/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-334/11-सी-एफपी/अप्रोच/49598/2020 दिनांक 03.08.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के साथ संलग्न बरेली विकास प्राधिकरण , बरेली के साइट प्लान में प्लाट नं0 सी0पी0-03 के ठीक बगल से 7.50 मीटर चौड़ाई की एक सड़क दर्शित है। जब प्रश्नगत प्लाट नं0 सी0पी0-03 के ठीक बगल से 7.50 मीटर चौड़ाई की एक सड़क गुजर रही है , तो क्या किसी अन्य साइड से एप्रोच का प्रस्ताव है?

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करने का कष्ट करें, जिससे परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। उक्त के अतिरिक्त गैर वन प्रायोजन से क्या तात्पर्य है? के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की जाय।

भवदीय,

Signed by
Devendra Singh Chauhan
Date: 12-09-2024 14:18:35
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।